# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर <br> क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/शैक्षिक/एबी/3511/2011-12 <br> दिनांक 26•10.12 <br> प्रेषक:- <br> डा.रविकुमार सुरपुर <br> निदेशक IAS 

प्रेषिती :-
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा(समस्त)
विषयः-परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम (सत्र 2012-2013 से लागू)बाबत। उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.1(4)प्राशि/2012 दिनांक 08.10.12 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम 2012-2013 से लागू होंगे। इस कक्षौन्नति नियमों के अनुरूप परींक्षा एवं कक्षौन्नति की प्रकिया संपादित करने हेतु समस्त संस्था प्रधानों को भी निर्देशित करावें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार


प्रतिलिपि निमनांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
3. संपादक,शिविरा पत्रिका को सात अतिरिक्त प्रतियों के प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं।



एज्यूकेशन कोड (शिक्षा संहिता) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उप नियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/परिवर्धनों के अतिक्रमण गें शैक्षिफः सन्न 2012-2013 से निम्न परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम लागू किये जाते है। इनकी पालन्ना सुनिश्चित करावें :-

## प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम <br> ( सत्र 2012-2013 से लागू)

## 1. क्षेत्र

1. ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाऐंगे तथा राजसथान के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत शिक्षा के विद्यालंयों, शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों, मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्रमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 पर लागू होंगे।
2. यह दिशा निर्देश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू है।

## 2. सामान्य निर्देश

2.1 परीक्षा प्रवेश योग्यता-

1. कक्षा 1 से 8 की परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेगें जिन्होने किसी शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो।
2. विद्यार्थी के जन्म प्रमाग पन्र, अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/ अभिलेख, आंगनबाडी अभिलेख अथवा माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक आयु अनुरूप प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी बालक को जन्म के प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र, के अभाव में प्रवेश से इन्कार नहीं किया जायेगा। आयु अनुरूप प्रवेशित बालको की दक्षताओं का संस्था प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आकलन कर कक्षा अनुरूप स्तर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा भान्य, बिन्दु-1 में उल्लेखित संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कक्षा से अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
2.2 उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता -
4. कक्षा $1-8$ तक सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाले सामयिक परख एवं अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने की रिथति में संस्था प्रधान अनुपरिथति के कारणों की सन्तुष्टि के पश्चात् विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने पर सामयिक परख/अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था पृथक से करेगा 1 यह परीक्षा उन्ही विषयों की आयोजित की जाए जिनमें विद्यार्थी पूर्व में अनुपर्थित रहा है।
5. कक्षा 1 से 8 तक में नियमित विद्यार्थियों की उपर्थिति की गणना विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रदेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपरिथति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अन्तिम प्रवेश तिथि तक अथवा विस्तारित कालावधि) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। यह न्यूनतम उपरिथति 70 प्रतिशत होगी।
6. जो विद्यार्थी लगातार 45 दिन तक विद्यालय से अनुपरिथत रहता है अथवा 2.2 (2) के अनुसार आवश्यक उपस्थिति स्तर प्राप्त नही करता है तो ऐसे विद्यार्थी को ड्रॉप आउट मानते हुए आयु अनुरूप पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जाकर उसे विशेष प्रशिक्षण के माध्यंम से उस कक्षा के स्तर तक लाया जावेगा।
In case of a drop out being given re-admission, will the student appear for all his missing tests and half yearly exam.

What about the missing tests of a student seeking late admission.
4. संरथ्था म्रधान संतुष्ट होने के बाद विद्यार्थियों की रूण्णता अथवा युक्तियुक्त कारणों से वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए उपरिथति में अपने विवेकानुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दें सकेंगें। विद्यार्थी द्वारा रूत्णता प्रमाण पत्र सात दिवस की अदधि में प्रस्तुत किया जायेगा।
2.3 परीक्षा तैयारी अवकाश -

1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु 1 दिन तथा वार्षिक परीक्षा हेतु 2 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जाएगा। इन दिनों में विद्यालय खुला रहेगा। अध्यापक व अन्य कर्मचारी अभिलेख्र तथा परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कार्य पूरा करेगें। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अ़वकाशों के अतिरिक्त होगा।
2. जिन उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है, वहॉ बोर्ड परीक्षा अवधि में कक्षा 1 से 8 का अध्यापन कार्य यथावत जारी रहेगा। इस कार्य हेतु दोपहर 12.00 से सायं 2.30 बजे तक शिविरा पंचांग के अनुसार समयावधि रहेगी।

## 2.4 प्रश्न पत्र व्यवस्था -

1. सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं सामयिक परख के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जायेगी। संस्था प्रधान सामयिक परखों, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के ज्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से पूर्व शिक्षकों से तैयार करवाकर सुरक्षित रख लें।
2. संर्था प्रधान मूल्यांकन कार्य हेतु सत्र के प्रारंभ में ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिये प्रत्येक विषय हेतु एक सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल) उपलब्ध करवायेंगे, जिसमें सत्र मर्यन्त आयोजित होने वाली परीक्षाओं, प्रोजेक्ट कार्य एवं विद्यार्थियों के द्वारा किये गये मौलिक कार्य आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखा जायेगा। एक अन्य फोल्डर में चित्रकला, संगीत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों से संबंधित रिकार्ड रखा जायेगा। यह फोल्डर विद्यालय में संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा संधारित किया जाएगा। इसका उपयोग विद्यार्थियों की प्रगति के लिए शाला प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों में भी किया जाएगा।

## 2.5 सामयिक परख एवं परीक्षाएं -

संबंधित सत्र में विभागीय पंचाग में दिये गये निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक की सामयिक परख एवं परीक्षाएं आयोजित होंगी।

## 2.6 शैक्षिक उपलष्धियों का मूल्यांकन (परीक्षा परिणाम) -

1. संसथा प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्ववार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को निश्चित दिनांक पर विद्यालय में बुलाकर दिखाये जाएगें। इस दिन अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से अवगत करायेंगें।
2. शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् प्रगति पत्र अभिभावकों को दिये. जाएगें।
2.7 पूर्णांक -

कक्षा 1 से 8 हेतु विभिन्न सामयिक परखों एवं परीक्षाओं के लिये विषयवार अंक विभाजन संलग्न परिशिष्ट क. ख एवं ग के अनुसार होंगें।
2.8. उत्तीर्णता नियम -

1. विद्यार्थियों को उनकी सामयिक परखों, अर्द्ववार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड दी जायेगी।

## 2. ग्रेड निर्धारण नियम -

कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'क' के अनुसार, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ख' के. अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ग’ के अनुसार प्राप्तांक भरे जाएगें। प्राप्ताकों के योग के आधार पर ग्रेड निम्नानुसार दी जायेगी :-

| क्र.सं. | प्राप्तांकों का प्रतिशत | ग्रेड |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 0 से 30 प्रतिशत तक | ई $/ \mathrm{E}$ |
| 2 | 31 से 50 प्रतिशत तक | डी $/ \mathrm{D}$ |
| 3 | 51 से 70 प्रतिशत तक | सी $/ \mathrm{C}$ |
| 4 | 71 से 85 प्रतिशत तक | बी $/ \mathrm{B}$ |
| 5 | 86 से 100 प्रतिशत तक | ए $/ \mathrm{A}$ |

नोट:-1. प्रतिशत में भिन्नांश को आगामी पूर्णांक में माना जायेगा। तीनों परखों, अर्द्ववार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए।
2. कक्षा 1 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण/प्रोन्नत घोषित किये जायेंगें।
20 अतिरिक्त शिक्षण _ For what minimum percentage ofmarks should a student be marked passed?
2.9 अतिरिक्त शिक्षण - Earlier the cut off for passing was $36 \%$, is it now $30 \%$ (i.e., 'E' grade obtaining students)?

1. प्रत्येक सामयिक परख/अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा के पश्चात उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, अध्यापक द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जायेगा। अतिरिक्त शिक्षण के बाद विद्यार्थियों की पुनः जॉच्च होगी तथा इस पुनः जॉच के परिणाम को मूल्यांकन का आधार मानकर प्रगति पत्र में प्रविष्टि की जायेगी।
Page 3 of 5 .
Re-test after every Unit Test may not be required because the student may not do well in one test but can still improve his performance ikythe second or third test. After all his final result is computed on his overall performance.
2. विशेष परीक्षा -
3. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र अथवा युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र देता है अथवा किसी विषय विशेष में ई ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन सभी विषयों में $1-15$ मई की अवधि में अतिरिक्त शिक्षण दिया जाकर उसे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने हेतु प्रयास किया जायेगा। इसकी जांच हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी। Should the school maintain record of marks of both his original exam. and improvement exam?
4. इस विशेष परीक्षा के उपरान्त भी यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं करता है तो उसे आगामी सत्र के प्रारम्भ से आगामी कक्षा के साथ-साथ उन विषयों के लिए जिनमें अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, में विशेष शिक्षण दिया जाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाया जायेगा। यह प्रक्रिया अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त होने तक जारी रहेगी।
5. सतत मूल्यांकन फोल्डर का रखरखाव विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन फोल्डर को विद्यालय में संधारित किया जायेगा। यह सतत मूल्यांकन फोल्डर अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने तक संधारित किया जायेगा। इस सतत मूल्यांकन फोल्डरं में दर्शाये गये मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल की प्रविष्टि परीक्षाफल पंजिका में स्थायी रूप से अंकित की जायेगी। परीक्षाफल पंजिका 5 वर्ष तक एवं सतत मूल्यांकन फोल्डर एक वर्ष तक सुरक्षित रखे जायें।
6. विद्यार्थी संचयी अभिलेख

विद्यार्थी संचयी अभिलेख विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के समस्त क्षेत्रों/पक्षों की. प्रगति को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख में बालक के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक भावात्मक विकास, पसन्द, रूचि, मजबूत पक्ष एवं एक समय विशेष में होने वाली प्रगति का आकलन परिलक्षित होता है।

1. अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के अधिकांश कॉलम की पूर्ति सत्रारम्भ में ही कर दी जाये।
2. संचयी अभिलेख प्रपत्र में विद्यार्थी के अध्ययन काल के वर्षों से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित की जायें। जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अन्यत्र जाता है, उस समय कक्षाध्यापक द्वारा समस्त पूर्ति की जॉच की जाकर संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर सहित विद्यार्थी को यह अभिलेख उपलब्ध करवाया जाये।
3. कक्षा 1-8 में संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, व्यक्तित्व, व्यक्तितत एवं सामाजिक गुणों के विकास आदि का विवरणात्मक कथन का निर्धारण कक्षाध्यापक द्वारा विषय अध्यापकों के साथ चर्चा एवं विचार विमर्श करने के उपरान्त दर्ज किया जाना है। वर्ष पर्यन्त विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में किये गये विशिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में घटनावृत अभिलेख "सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल)" में संधारित किया जायेगा। सत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर समेकित टिप्पणी अंकित की जायेगी।
4. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी कारणवश विद्यालय छोड़ अन्यत्र कहों अध्ययन हेतु पलायन करता है तो उसका संचयी अभिलेख प्रपत्र उसकी अध्ययनरत कक्षा के स्तर तक का भरा जाये तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाये।

## 5. अन्य नियम-

1. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये जाने पर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में विद्यार्थियों को दिया जायेगा।
If a student of class 8th fails परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात परीक्षाफल की एक प्रति नियंत्रण अधिकारी को to come upto the minimulf. learning level and does not qualify himself for the certificate of completion
of Elementary Education, what should his
progress report reflect, 'promoted' or 'failed' and what will be his position for admission to class IX संलग्न :- विषयवार अंक विभाजन (परिशिष्ट क, ख एवं ग)
2. परिशिष्ट क - कक्षा 1 व 2
3. परिशिष्ट ख - कक्षा 3 से 5
4. परिशिष्ट ग - कक्षा 6 से 8
5. परिशिष्ट घ - संचयी अभिलेख प्रपत्र


प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संर्कृत रिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजरथान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, एर्मिक/मौंथ्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव. राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जयपुर।
5. समरत्त शासन उप सचिव. शिक्षा ( ग्रुप-1/2/5/6)/प्राशि(आयों) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली ।


Page 5 of 5
2.7 विषयवार अंक विभाजन कक्षा- 1,2

| विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| विषय | अर्द्ध-वार्षिक |  |  | वार्षिक |  |  | सर्व योग |  |  | विषेय | अर्द्ध-वार्षिक |  |  | वार्षिक |  |  | सर्व योग |  |  |
|  | मौखिक | लिखित | योग | मौखिक | लिखित | योग | मौखिक | लिखित | योग |  | मौखिक | लिखित | योग | मौखिद | लिखित | योग | मौखिक | लिखित | योग |
| हिनदी | 70 | 30 | 100 | 70 | 30 | 100 | 140 | 60 | 200 | हिन्दी | 70 | 30 | 100 | 70 | 30 | 100 | 140 | 60 | 200 |
| गणित | 70 | 30 | 100 | 70 | 30. | 100 | 140 | 60 | 200 | गणित | 70 | 30 | 100 | 70 | 30 | 100 | 140 | 60 | 200 |
| अंग्रेजी | 35 | 15 | 50 | 35 | 15 | 50 | 70 | 30 | 100 | अंग्रेजी | 35 | 15 | 50 | 35 | 15. | 50 | 70 | 30 | 100 |
| पर्यावरण |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | पर्यावरण |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |
| कार्य | भव | 25 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | कार्यानुभव |  | 25 |  | 25 |  |  | 50 |  |  |
| कला | शिक्षा | 25 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | कला शिक्षा |  | 25 |  | 25 |  |  | 50 |  |  |
| स्वा. | शक्षा | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | स्वा.शिक्षा |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |

नोट :- 1. पर्यावरण, कार्यानुभव, कला शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा का गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी।
2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत गूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।
2.7 विषंयवार अंक विभाजन (कक्षा 3 से 5)

| क्र. सं. | विषय | सामयिक जांच्र |  |  | अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन |  |  | वार्षिक मूल्यांकन |  |  | सर्व योग |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | मौखिक | लिखित | योग | गौखिक. | लिखित | योग |  |
| 1. | हिन्दी | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 70 | 40 | 60 | 100 | 200 |
| 2. | अंग्रेजी | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | 20 . | 30 | 50 | 100 |
| 3. | गणित | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 70. | 40 | 60 | 100 | 200 |
| 4. | पर्यावरण अध्ययन | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 70 | 40 | 60 | 100 | 200 |
|  |  | प्रथम |  | द्वितीय मूल्यांकन | तृत्तीय ग | ल्यांकन |  | यांकन | पंचम | ांकन | योग |
| 5. | कार्यानुभव | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100 |
| 6. | कला शिक्षा | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100 |
| 7. | र्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100 |

नोट :- 1. ऊुम संख्या 5,6 व 7 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सामतिक जांच तथा अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के साथ ही किये जायेंगे एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दीं जावेगी।
2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

परिशिष्ट (ग)


नोट :-1. क्रम संख्या 7.8 एवं 9 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुरमार दी जावेगी।
2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कायों को भी आधार बनाया जाये।

## परिशिष्ट घ

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान


## विद्यार्थी संचयी अभिलेख

सत्र $\qquad$ से तक

विद्यालय का नाम डायस कोड $\qquad$

विद्यार्थी का नाम $\qquad$

लिंग : छात्र/छात्रा श्रेणी $\qquad$ एससी / एसटीं / ओबीसी / अपेव / सामान्य / अन्य)

माता का नाम पिता का नाम
संरक्षक का नाम विद्यार्थी के साथ सम्बन्ध $\qquad$

> कक्षा
$\qquad$ प्रवेशांक $\qquad$ प्रवेश दिनांक $\qquad$

जन्म दिनांक (अंकों में) $\qquad$ जन्म दिनांक (शब्दों में) $\qquad$
विशेष आवश्यकता (सीडब्लूएसएन) विवरण (यदि कोई हो तो) एमआर एचआई वीआई ओएच (सही का निशान अंकित करें)

स्थायी पता : $\qquad$

अन्यत्र जाने का कारण $\qquad$
कक्षा उत्तीर्ण $\qquad$ प्रवेश योग्य कक्षा
अभिलेख प्रपत्र जारी करने की दिनांक $\qquad$
हस्ताक्षर
अभिभावक

प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर मय सील

रोंज्ञानात्मक क्षेत्र -
कक्षा $1-2$ हेतु प्रारूप
कक्षा ...............

| सित्र ...................... |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| विषय | हिन्दी | गणित | अंग्रेजी | पयावरण | कार्यनुभव | कला शिक्षा |
| ग्रेड |  |  |  |  |  |  |
| शिक्ष्या |  |  |  |  |  |  |

समेकित टिप्पणी (सृजनात्मकता, रूचि, संवेद्नशीलता, परिकेशीय सजगता; स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में)-

कक्षा 3-8 हेतु प्रारूप
कक्षा


समेकित टिप्पणी (आत्म विश्वास, देखभाल, सहयोग, पहल, समय की पाबन्धी, सृजनात्मकता, रूचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता, स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में) -

विद्यार्थी उपस्थिति विवरण -

| सत्र | कक्षा | कुल मीटिंग | उपर्थिति | प्रतिशत <br> उपर्थिति | नियमितता पर टिप्पणी |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

विद्यार्थी का नाम पिता का नाम $\qquad$ जन्म तिथि $\qquad$ एस.आर. नम्बर $\qquad$

संज्ञानात्मक क्षेत्र -

## कक्षा $1-8$ हेतु प्रारूप



* समेकित टिप्पणी (आत्म विश्वास, देखभाल, सहयोग, पहल, समय की पाबन्दी, सृजनात्मकता, रूचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता, स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में) नोट :- 1. विषय के सम्मुख कॉलम में ग्रेड अंकित की जाये।
विद्यार्थी उपस्थिति विवरण -


